न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 491/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– खेताराम पुत्र चैनाराम 2– भेराराम पुत्र चैनाराम जातियान जाट निवासीगण बागडवों की ढाणी, बायतु चिमनजी तहसील बायतु जिला बाडमेर		1– राऊराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी बागडवो की ढाणी, बायतु चिमनजी तहसील बायतु जिला बाडमेर 2– तहसीलदार बायतु जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 20–8–2015 जो सहायक कलेक्टर बायतु द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 122/2014 अनवान राऊराम बनाम खेताराम वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री ओम चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2– श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 28–2–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्ययालय उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश कर कथन किया कि उसकी खातेदारी का खेत मौजा बागडवों की ढाणी पटवार मण्डल बायतु चिमनजी तहसील बायतु के खसरा नंबरान 381/104 रकबा 21.04 बीघा, खसरा नंबर 407/181 रकबा 10.05 बीघा, खसरा नंबर 408/181 रकबा 29 बीघा, खसरा नंबर 414/183 रकबा 52.04 बीघा एवं खसरा नंबर 180 रकबा 07 बीघा भूमि पर उसका कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, टांके, पशु बाडे आदि बने हुए है । उक्त खातेदारी खेतो के सेढासेढ अप्रार्थी संख्या 1 व 2 (वर्तमान अपीलांटगण) के खते खसरा नंबरान 116 रकबा 2.03 बीघा, खसरा नंबर 380/104 रकबा 19.02 बीघा, खसरा नंबर 404/181 रकबा 29.07 बीघा, खसरा नंबर 406/181 रकबा 10.05 बीघा तथा खसरा नंबर 413/181 रकबा 40.04 बीघा भूमि आई हुई है तथा यह भी कथन किया कि उपरोक्त भूमि मूल खसरा नंबर 104, 183, 181 के भाग है तथा पक्षकारान ने एक राजस्व वाद संख्या 82/1985 भूमि के विभाजन हेतु पेश किया जिसके तहत सक्षम न्यायालय द्वारा बंटवाडा की डिक्री पारित हुई तथा भूमि के खसरो के बट्टा नंबर अंकित किये गये । भूमि विभाजन करवाने के बाद उक्त खसरान की भूमि की तरमीम कराई लेकिन तरमीम मौके पर कब्जा काश्त अनुसार न कर लट्ठा ट्रेस मे गलत कर दी गई । जिसे दुरस्त करवाने तथा लट्ठा ट्रेस मे

संशोधन करवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई के अपने निर्णय दिनांक 19–6–2015 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया गया । जिस पर रेस्पो0 ने उक्त आदेश को पुनरावलोकन करने बाबत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86(2) सपठित आदेश 47 सीपीसी. का पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20–8–2015 के द्वारा उक्त पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र के द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 19–6–2015 को निरस्त करते हुए लट्ठा ट्रेस मे विभाजन प्रस्ताव अनुसार तरमीम किये जाने के संशोधित आदेश पारित कर दिये, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर आपत्ति की गई कि उक्त भूमि का विभाजन सक्षम न्यायालय के बंटवाडा आदेश व डिक्री के अनुसार किया जाकर आदेशानुसार वर्ष 1987 मे ही तरमीम कर पक्षकारो के हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि पर काबिज करवा दिया गया था तब से लगातार अपने अपने हिस्से पर काश्त करते आ रहे है इसलिए 27 वर्ष के असाधारण विलंब के बाद बंटवाडा के तहत आपसी सहमति से की गई तरमीम को प्रश्नगत नही किया जा सकता है और न ही धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पोषणीय है । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या 1 के आवेदन पत्र का निस्तारण अपने निर्णय दिनांक 19–6–2015 के द्वारा करते हुए प्रार्थना पत्र को खारीज कर दिया था ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश को पुनरावलोकन करवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम सपठित धारा 47 सी.पी.सी. को दिनांक 3–8–2015 को दर्ज करते हुए अप्रार्थीगण को तारीख पेशी 12–8–2015 का नोटिस जारी करते हुए अगली तारीख पेशी दिनांक 20–8–2015 को अपीलांट के नोटिस तामिल हुए बिना ही एकतरफा आदेश दिनांक 20–8–2015 के द्वारा अपने ही आदेश मे किसी प्रकार का एरर एपीरेन्ट ऑन द फेश ऑफ रिकार्ड न होते हुए प्रकरण पुनः दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि किसी भी पुनरावलोकन आवेदन पत्र मे अपने द्वारा पूर्व पारित आदेश को तभी प्रत्यावर्तित (रिवर्ट) किया जा सकता है जबकि पूर्व पारित आदेश मे पत्रावली पर मौजुद कोई अभिलेख/दस्तावेज आदि पर विचार करने से रह गया हो । जबकि प्रस्तुत प्रकरण

मे ऐसा कोई अभिलेख या सामग्री उपलब्ध नही है जिस पर विचार करने से रह गया हो, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–8–2015 को पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय सुनवाई का कोई मौका नही दिया बल्कि सरसरी तौर पर एकतरफा रेस्पो0 को सुनकर पूर्व आदेश दिनांक 19–6–2015 प्रत्यवर्तित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 20–8–2015 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि कथन किया कि अपीलाधीन भूमि हमारे संयुक्त खातेदारी की भूमि थी, जिसके संबंध मे पक्षकारान द्वारा राजस्व वाद संख्या 82/1985 भूमि के विभाजन हेतु पेश किया जिसमे बंटवाडा की डिक्री पारित हुई । जिसके अनुरूप उक्त खसरान की भूमि की तरमीम कराई लेकिन तरमीम मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नही की गई इसलिए मौके पर रकबे का मिलान नही हो रहा है अथार्त न्यायालय द्वारा जारी डिक्री के विपरीत नक्शे मे तरमीम कर दी जाने से उसे दुरस्त करवाने तथा लट्ठा ट्रेस मे संशोधन करवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई के अपने निर्णय दिनांक 19–6–2015 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया गया, जिसे पुर्नविलोकन बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपील को पुनः नंबर पर लिया जाने का आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे नेखमबंदी मौका फर्द उपलब्ध है जिसमे भी अपीलाधीन भूमि का रकबा तथा लट्ठा ट्रेस मे की गई तरमीम अनुसार रकबे का मिलान नही होना तथा अपीलाधीन खसरा नंबरो की लट्ठा ट्रेस मे तरमीम सही नही होना प्रकट किया है । वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की मेरिट को देखते हुए जो पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किया है, उसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बायतु द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–6–2015 जिसके

द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को खारीज कर दिया था तथा उसके पश्चात रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86(2) सपठित आदेश 47 सीपीसी. पर अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–8–2015 का भी अवलोकन किया जिसके द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 19–6–2015 को निरस्त करते हुए लट्ठा ट्रेस मे विभाजन प्रस्ताव अनुसार तरमीम किये जाने के संशोधित आदेश पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–8–2015 एकतरफा आदेश है जिसमे अपीलांट को सुने बिना ही पूर्व पारित आदेश को पलटा गया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व पारित निर्णय दिनांक 19–6–2015 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86(2) सपठित आदेश 47 सीपीसी. पर पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–8–2015 दोनो ही निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलाधीन भूमि के संबंध मे पक्षकारो द्वारा राजस्व वाद संख्या 82/1985 मे हुए राजीनामे के अनुसार वर्ष 1987 मे प्रस्तुत किये गये बंटवाडा प्रस्ताव के दोरान प्रस्तावित राजस्व नक्शे को रिकार्ड पर लिया जायें तथा जांच की जाये कि बंटवाडा प्रस्ताव मे प्रस्तावित तरमीम के अनुरूप लट्ठा ट्रेस मे तरमीम की गई है अथवा नही । यदि नही तो दोनो पक्षो की सुनवाई कर पुनः नये सिरे से विधिनुकुल निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 28–2–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर